

नियम 75 : ¹[.....]

1 अधिसूचना क्रमांक 19/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा नियम 75 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था:

"नियम 75 : उत्पादन कर दायित्व की कटौती में विसंगति की संसूचना और उसका परिशोधन तथा कटौती के दावे का उलट दिया जाना

- (1) धारा 43 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट उत्पादन कर दायित्व में कटौती के दावे में कोई विसंगति और ऐसी विसंगति के चालू रहने के कारण उक्त धारा की उप-धारा (5) के अधीन जोड़े जाने वाले उत्पादन के कर दायित्व ब्यौरे **प्ररूप जीएसटी एमआईएस-1** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसा दावा करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को और **प्ररूप जीएसटी एमआईएस-2** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्तकर्ता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से उस मास, जिसमें सुमेलीकरण किया गया हो, की अन्तिम तारीख को या उससे पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
- (2) ऐसा कोई प्रदायकर्ता, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले जावक प्रदायों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।
- (3) ऐसा कोई प्राप्तकर्ता, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास, जिसमें ऐसी विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले आवक प्रदायों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।
- (4) जहां विसंगति उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन परिशोधित नहीं की जाती है, वहां विसंगति के विस्तार की रकम प्राप्तकर्ता के उत्पादन कर दायित्व में जोड़ी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में से विकलित की जाएगी तथा उस मास जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के उत्तरवर्ती मास के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-3** में दर्शायी जाएगी।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह घोषणा की जाती है कि—

- (i) किसी प्रदायकर्ता द्वारा परिशोधन से उसकी विधिमान्य विवरणी में जावक प्रदाय के ब्यौरों का हटाया जाना या संशोधन करना अभिप्रेत है जिससे कि प्राप्तकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी आवक प्रदाय के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके;
- (ii) किसी प्राप्तकर्ता द्वारा परिशोधन के आवक प्रदाय के ब्यौरों का जोड़ा जाना या उन्हें संशोधित किया जाना अभिप्रेत है जिससे कि प्रदायकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी जावक प्रदाय के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके;"